

[2025:आरजे-जेडी:2069]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13927/2013

शुचि पांडे एवं अन्य।

---याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य एवं अन्य।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मानवेन्द्र सिंह सुश्री सौम्या चौधरी।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री तरूण जोशी वीसी द्वारा श्री विक्रम सिंह श्री दीपक गोपा

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/01/2025

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत दिनांक 19.11.2013 के आदेश (अनुलग्नक 7) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत दिनांक 28.06.2011 के विज्ञापन के अनुसरण में तकनीकी शिक्षा विभाग में यांत्रिक अभियांत्रिकी के व्याख्याता के पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उनकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया गया था।
2. संक्षेप में, अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए, प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने यांत्रिक अभियांत्रिकी में व्याख्याता के 46 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसके लिए शिक्षण पदों हेतु अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि या संबंधित शाखाओं में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक थी। याचिकाकर्ताओं ने, जिनके पास उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि थी, यांत्रिक अभियांत्रिकी के व्याख्याता पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में आंशिक रूप से भाग लिया था। 2.1. हालाँकि, 21 नवंबर 2013 को याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता खारिज कर दी गई। उन्हें बताया गया कि अभियांत्रिकी

[2025:आरजे-जेडी:2069]

स्नातक (उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी), यांत्रिक अभियांत्रिकी के समकक्ष नहीं है।

यद्यपि, उनका दावा है कि उनकी डिग्री में इसके कुछ हिस्से शामिल हैं।

2.2. याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादीगण से मुलाकात की और दावा किया कि उनकी योग्यता यांत्रिक अभियांत्रिकी में बी.ई. के समकक्ष है, जिसका समर्थन उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष (एचओडी) के दिनांक 30.08.2013 के एक पत्र से होता है। उनका दावा है कि यांत्रिक अभियांत्रिकी और उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी के पाठ्यक्रम की तुलना करने पर पता चलता है कि गणित, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 37 में से 26 विषय एक-दूसरे से अतिव्यापी (ओवरलैप) हो रहे हैं। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अध्ययन किया है।

4. सर्वप्रथम, दिनांक 28.06.2011 के विज्ञापन (अनुलग्नक 1) में निहित प्रश्नगत पदों पर कार्य करने के लिए भावी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

“शैक्षणिक योग्यताएँ:-

क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों के लिए:-

(1) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री या मानविकी और विज्ञान में शिक्षण पदों के लिए उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री।”

5. उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट रूप से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की विशिष्ट उपयुक्त शाखा, अर्थात् वर्तमान मामले में यांत्रिकी अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री आवश्यक थी। विशेष रूप से, इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि जिनके पास 'समकक्ष डिग्री' है, वे भी प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

6. यदि यह ऐसा मामला होता जहाँ समकक्ष डिग्री को स्वीकार किए जाने हेतु आवश्यक योग्यता के रूप में उल्लेखित किया गया होता, तो उस स्थिति में, मैं याचिकाकर्ताओं के

[2025:आरजे-जेडी:2069]

इस दावे से सहमत होता कि अस्वीकृति मनमाने ढंग से की गई थी, क्योंकि समान रूप से स्थित अन्य अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को नहीं।

7. उपरोक्त विज्ञापित अपेक्षित योग्यताओं के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के समान डिग्री वाले सभी उम्मीदवारों ने संभवतः आवेदन नहीं किया होगा क्योंकि समकक्ष डिग्री का कोई उल्लेख नहीं था। अतः, उन्हें इसके प्रति पात्रता से सही रूप में बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है, और इसलिए, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें उन लोगों पर बढ़त क्यों मिलनी चाहिए जो समान रूप से अपात्र थे।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित अस्वीकृति आदेश पर ज़ोर देना, जिसमें याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया है कि उनके पास समकक्ष डिग्री नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता। अस्वीकृति में प्रदान किए गए कारण विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को अधिभावी नहीं कर सकते।

9. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2008 के सामान्य प्रस्ताव संख्या सेवाप्रा 2007/(10/07)/टीई-6 की अनुसूची-बी पर आश्रय करना, जिसमें घोषित किया गया था कि यांत्रिकी अभियांत्रिकी की डिग्री उत्पादन अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी या औद्योगिक अभियांत्रिकी के समकक्ष है, भी याचिकाकर्ताओं के मामले को कोई बल नहीं मिलता है। यहाँ विवाद यह नहीं है कि क्या यांत्रिकी अभियांत्रिकी उत्पादन अभियांत्रिकी के समकक्ष है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या समकक्ष डिग्री धारकों को भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए।

10. चूंकि समान/समकक्ष डिग्री रखने वाले कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं थे, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इसलिए मुझे उक्त विनियमों के आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता।

11. वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

12. अंत में, मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि तर्क के लिए यदि समकक्ष डिग्री को पात्रता की पूर्ति मान भी लिया जाए, तो भी याचिकाकर्ता द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया में भाग न लेने की स्थिति में, उनकी योग्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हालाँकि, निस्संदेह उन्हें स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन केवल स्क्रीनिंग प्रक्रिया के आधार पर

[2025:आरजे-जेडी:2069]

किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ नहीं दिया गया था और वास्तविक योग्यता का निर्धारण स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद किया गया था।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

18-/जितेन्द्र/आरमाथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate